न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ), जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 :- 38/2009

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मन्जुर अली पुत्र असगर अली उम्र 60 साल जाति मुसलमान निवासी लालपोल के बाहर जालोर तहसील व जिला जालोर।		1. जरीना बानु पत्नी रियाज अहमद जाति मुसलमान निवासी जालोर तह0 व जिला जालोर। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जालोर जिला जालोर। 3. जमीर अली पुत्र असगर अली। 4. आमना पुत्री असगर अली। 5. मैमना पुत्री असगर अली। 6. हाजरा पुत्री असगर अली जातियान मुसलमान निवासी जालोर जिला जालोर।

दावा बाबत बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्त 1955

उपस्थिति :-

1. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित वकील (वादीगण)
4. श्री सिकन्दर अली वकील (प्रतिवादी सं0 1)
5. श्री समदर खां खोखर वकील (प्रतिवादी सं0 3 से 6)

निर्णय

दिनांक :- 28/8/19

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा जालोर 'ए' के खसरा नम्बर 706,707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर आई हुई है। जिसमें वादी का 2.03 हैक्टेयर हिस्सा व शेष 0.33 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 का जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 में दर्ज है। यह आराजी संयुक्त कब्जे काश्त की आई हुई है। मौके पर वादी का कब्जा 2.13 हैक्टयर पर है जिसे नक्शा शेड्युल 'ए' में लाल रंग से दर्शाया गया है तथा शेष 0.33 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है इसी माफिक बंटवाडा करने के लिये यह दावा पेश है, प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के कब्जे को चैलेन्ज नहीं किया, अब प्रतिवादी संख्या 1 ने खडाई करने से मना किया तब विवाद दावा दिनांक 21.05.2009 को उत्पन्न हुआ, प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के कब्जे में दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है, अतः वादी प्रतिवादी के खिलाफ इस कदर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी तरह से न तो स्वंय दखलन्दाजी करे व न ही किसी अन्य से करावें। खडाई को लेकर विवाद होता रहता है इसलिये इस विवाद से बचने के लिये बंटवाडा का दावा पेश करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। अतः डिक्री बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 इस कदर जारी की जावें कि मौजा जालोर 'ए' में खसरा नम्बर 706,707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम में से 2.13 हैक्टयर भुमि जो संलग्न नक्शा शेड्युल 'ए' में लालरंग से बताये गये है को बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करते हुए वादी के बंट में दिया जावें तथा वादी के हिस्से का लगान का विभाजन किया जाकर वादी का खाता अलग किया जावें व नक्शे में तरमीम किया जावें, इसी अनुरुप तहसीलदार जालोर को आदेश दिया जावें। वादी के कब्जे वाली 2.13 हैक्टयर में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या 1 को रोका जावें इस कदर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्व जारी की जावें। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावें, खर्चा हर्जा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 3 से 6 द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर इस वाद में पक्षकार बनने का निवेदन किया, चुंकि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी होने से प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को इस वाद में प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 संयोजित किया गया।

28/8/19
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जालोर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा व काउन्टर क्लेम दिनांक 04.11.2009 को पेश किया कि जालोर 'ए' के वर्तमान खसरा नम्बर 706 रकबा 1.42 हैक्टयर, खसरा नम्बर 707 रकबा 1.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 719 रकबा 4.20 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 720 रकबा 0.22 हैक्टयर कुल रकबा 6.88 हैक्टयर आई हुई थी, जिसमें के खातेदार कब्जा काश्त मालिक मेरे पिता श्री असगर अली थे तथा असगर अली ने अपने जीवनकाल में ही अपनी इस कुल भुमि में से खसरा नम्बर 706 रकबा 1.42 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 707 रकबा 1.04 हैक्टयर कुल रकबा 2.46 हैक्टयर की वसीयत मुझ जरीना बानू के हक में दिनांक 17.07.1996 रजिस्टर्ड वसीयत करवा दी थी तथा मुझ प्रतिवादीया के दोनों भाई मंजुरअली व जमीरअली तथा बहन आमना, मैमना, हाजरा भी इस वसीयत से सहमत थे। बाकी बची शेष खसरा नम्बर 719 व 720 की कुल रकबा 4.20 हैक्टयर भुमि का बेचान दोनों भाईयों को रकम की आवश्यकता होने से बेचान दिनांक 18.08.2005 को भंवरीदेवी पत्नी सुखराम चौधरी को कर दिया। इस प्रकार वसीयत की गई भुमि खसरा नम्बर 706 व 707 की भुमि में मंजुरअली व अन्य मेरे भाई बहनों का कोई अधिकार नहीं होते हुए मंजुरअली ने यह दावा रेकर्ड में गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर किया मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 16.10.2005 को होने के बाद में वादी मंजुरअली व जमीरअली तथा चार बहिने आमना, मैमना, हाजरा तथा मुझ प्रतिवादीया के नाम से म्युटेशन मंजुरअली ने भरवाया था जिसके सम्बध में मैने मेरे पक्ष में मेरे पिता हाथ करवाये वसीयत नामे के आधार पर म्युटेशन मेरे नाम से भरने की कार्यवाही की थी तथा तहसीलदार जालोर ने दिनांक 21.11.2007 को फैसला देते हुए खसरा नम्बर 706 व 707 की भुमि का वसीयत नामे के आधार पर जमीरअली, मंजुरअली, आमना, मैमना, हाजरा व जरीना की जगह अकेले मुझ वादी जरीना के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये थे। जिसके विरूद्व मंजुरअली ने अतिरिक्त जिलाधीश के न्यायालय में अपील की थी इस अपीलान्ट अदालत ने खसरा नम्बर 706 व 707 की कुल भुमि 2.46 हैक्टयर में से वसीयत नामे को सही नहीं मानते हुए 0.33 हैक्टयर भुमि मुझ जरीना के नाम से तथा बाकी मंजुरअली के नाम से म्युटेशन भरने का आदेश दिनांक 01.01.2009 को दिया था जिसके विरूद्व मैने संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपील कर रखी है। अन्य खातेदार आमना, मैमना, हाजरा व जमीरअली ने भी उनके नाम हकदार मंजुरअली के नाम से उनके हिस्सा भुमि का म्युटेशन भरने के आदेश के विरूद्व संभागीय आयुक्त में अपील कर रखी है वादी ने अतिरिक्त जिलाधीश जालोर के फैसले दिनांक 01.01.2009 के आधार पर गलत रूप से इस भुमि का म्युटेशन अपने नाम से भरवाकर यह गलत रूप से दावा पेश किया है। मेरे पक्ष में किये गये वसीयत नामे से उस समय वादी मंजुरअली मेरा दुसरा भाई जमीरअली व बहिने आगना, मैमना, हाजरा सभी सहमत थे वादी मंजुरअली बंटवाडे व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी नहीं है वादी ने गलत नक्शा शेड्युल 'ए' गलत रूप से पेश किया है।

प्रतिवादी संख्या 1 काउन्टर क्लेम व माजिद उजरात में वर्णित करती है कि खसरा नम्बर 706 व 707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर की भुमि उसके पिता असगरअली के द्वारा उसे वसीयत करने के कारण उक्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादीया के नाम से घोषित करने की डिक्री जारी फरमावें। व्युक्तक्रम में मौजा जालोर 'ए' के खसरा नम्बर 706 व 707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर के खातेदार मेरे पिता असगरअली की मृत्यु के बाद अनके लडके वादी मंजुरअली व जमीरअली तथा चारों बहिने में वादीया, आमना, मैमना, व हाजरा वारिस होते है तथा मेरे पिता के हाथ की गई वसीयत पर उनकी मृत्यु के बाद भी यदि वादी मंजुरअली की सहमति नहीं मानी जावें तो भी मेरे भाई जमीरअली व बहिन आमना, मैमना व हाजरा द्वारा सहमति देने से कुल भुमि में से 2.13 हैक्टयर की खातेदारी मेरे नाम से दर्ज करते हुए खसरा नम्बर 707 रकबा 1.04 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 706 रकबा 1.09 हैक्टयर भुमि जो खसरा नम्बर 707 से लगती हुई है जो नक्शा परिशिष्ट 'ब' में वर्णित लाल रंग से दर्शाया गया भाग बंटवाडे के जरिये मुझ प्रतिवादीया जरीना बानू के खातेदारी में घोषित करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के बंटवाडे के जरिये दर्ज करने की डिक्री जारी फरमावें। उक्त भुमि पर मेरे कब्जे काश्त में वादी मंजुरअली किसी तरह की दखलन्दाजी नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें। इस बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमावें। वादी ने गलत दावा पेश कर मुझ प्रतिवादी को तंग व परेशान किया है जिससे खर्चा हर्जा वादी से दिलाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 के काउन्टर क्लेम व मजीद उजरात का वादी ने जवाबदावा दिनांक 29.07.2010 को प्रस्तुत किया है कि अतिरिक्त कलेक्टर जालोर के अपील नम्बर 43/07 निर्णय दिनांक 01.01.2009 मंजुरअली बनाम जरीना में जरीना का हिस्सा 0.33 हैक्टयर व वादी का 2.13 हैक्टयर हिस्सा माना है। इस निर्णय की पालना में वादी के नाम म्युटेशन 2.13 हैक्टयर का निर्णित हुआ है जब तक उक्त निर्णय सक्ष्म न्यायालय से निरस्त नहीं होता तब तक प्रतिवादीया को 0.33 हैक्टयर से अधिक का हक नहीं मिल सकता इस आधार पर प्रतिवादीया का काउन्टर क्लेम खारीज योग्य है। नक्शा परिशिष्ट 'ब' गलत होने से अस्वीकार है वादी स्वंय रेकेर्डड खातेदार दर्ज होने से व सह खातेदार के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

28/8/15

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण 3 से 6 ने जवाबदावा व काउन्टर क्लेम दिनांक 21.04.2011 को पेश किया कि जालोर 'ए' के खसरा नम्बर 706, 707, 719 व 720 कुल रकबा 6.08 हैक्टयर के खातेदार हमारे पिता असगरअली थे उन्होने अपने जीवनकाल में ही खसरा नम्बर 706, 707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर की वसीयत जरीना बानू के हक में दिनांक 17.07.1996 को करवाकर रजिर्स्टड करवा दी थी। उसमें सभी भाई बहन सहमत थे तथा बाकी बचे खसरा नम्बर 719 व 720 कुल रकबा 4.42 हैक्टयर भुमि का बेचान दोनों भाईयों को रकम की आवश्यकता होने से दिनांक 18.08.2005 को कर दिया गया। मंजुरअली व अन्य भाई बहनों का काई अधिकार नहीं होते हुए भी मंजुरअली ने यह गलत दावा रेकर्ड में गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर किया है। वसीयत नामें के आधार पर जमीरअली मंजुरअली आमना, मैमना व हाजरा व जरीना की जगह अकेले जरीना के नाम अमल दरामद करने का फैसला तहसीलदार जालोर ने दिनांक 21.11.2007 को दिया था जिसकी अपील मंजुरअली ने अतिरिक्त जिलाधीश के न्यायालय में की इस अपीलान्ट अदालत ने खसरा नम्बर 706 व 707 की कुल भुमि 2.46 हैक्टयर में से वसीयतनामा को सही मानते हुए 0.33 हैक्टयर भुमि जरीना बानू के नाम व शेष भुमि का मंजुरअली के नाम म्युटेशन भरने का आदेश दिनांक 0101.2009 को गलत दिया जिसकी अपील संभागीय आयुक्त जोधपुर में की जिसका फैसला हमारे हक में हुआ है। अतिरिक्त जिलाधीश का फैसला दिनांक 01.01.2009 के आधार पर गलत रुप से इस भुमि का म्युटेशन अपने नाम से भरवाकर यह दावा गलत रुप से पेश किया गया है। जरीना बानू के पक्ष में किये गये वसीयत नामे को सही नही माना जावें तो खसरा नम्बर 706 व 707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर में असगरअली के सभी वारिसानों को बराबर हिस्सा की खातेदारी घोषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के सबंध में काउन्टर क्लेम पेश किया जा रहा हैं।

काउन्टर क्लेम व मजिद उपरान्त में प्रतिवादीगण 3 से 6 वर्णित करते है। कि खसरा नम्बर 706 रकबा 1.42 हैक्टयर व खसरा नम्बर 707 रकबा 1.04 हैक्टयर की भुमि हमारे पिता असगरअली के हाथ जरीना को वसीयत करने के कारण उक्त तमाम 2.46 हैक्टयर भुमि की खातेदारी प्रतिवादीया जरीना के नाम से घोषित करने की डिक्री फरमावें तथा जरीना को की गई वसीयत सही नही मानी जावें तो व्यूतक्रम में असगरअली के दो लडके व चारों लडकीयों के नाम समान रुप से हिस्सा सभी का बाई मिटस व बाउण्ड के अलग-अलग करने की बंटवाडे की डिक्री जारी फरमावें। इसी अनुरुप वादी के कब्जे काश्त में मंजुरअली किसी तरह की दखलन्दाजी नहीं करें व न ही किसी अन्य से करावें। इस बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमावें। यह गलत दावा हम प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने के लिये किया गया है जिसे हम प्रतिवादीगण को खर्चा व हर्जा वादी से दिलवाया जावें।

प्रतिवादीगण 3 से 6 के जवाबदावा व काउन्टर क्लेम का जवाब दिनांक 02.02.2014 को प्रस्तुत किया जिसे रेकर्ड पर लिया जाता है संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण 3 से 6 प्रतिवादी संख्या 1 से मिलावट कर वसीयत को सही बताने की चेष्टा कर रहे है, जबकि कानुनन असगरअली को वसीयत का अधिकार नहीं है वसीयत शुरु से ही शुन्य व अवैध है। असगरअली ने 70 वर्ष की उम्र में वसीयत निष्पादित की है, मुस्लिम विधि के तहत् कोई भी व्यक्ति अपनी निजो इच्छा या सम्बध से मुस्लिम विधि में एक व्यक्ति अपनी वसीयत कर सकता है, परन्तु इस पर दो निबंधन आधीरोपित किये गये है प्रथम कोई भी मुस्लिम अपनी सम्पति का 1/3 भाग वसीयत कर सकता है परन्तु 1/3 वसीयत के उद्वेश्य विधिक उताराधिकारी सामान्य अधिकार से वंचित न हो एवं द्वितीय वह अपने वारिसों को वसीयत द्वारा सम्पति नहीं दे सकता तथा कथित वसीयत शुरु से ही सिद्वान्त एवं विधि विपरित होने से शुन्य व अवैध है। इस प्रकार शुन्य वसीयत के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। एक प्रतिवादी के हक में वसीयत नामे में असगरअली के वारिसानों से सहमति नहीं ली। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो जाने से वादी के हकूको पर कुठाराधात हो रहा है। प्रतिवादी द्वारा तथा कथित वसीयत नामे के आधार पर उसमें वर्णित खसरो की भुमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम हस्तान्तरण करवाने बाबत् कार्यवाही की एवं इस बाबत् कई राजस्व न्यायालय में वाद-विवाद चलें। लेकिन वसीयतनामा दिनांक 18.07. 1996 एक शुन्य दस्तावेज होने पर भी किसी भी न्यायालय ने वसीयतनामे की वैधता को लेकर विवेचन नहीं किया वसीयतनामा शुन्य है। ऐसी स्थिति में वे घोषणा का काउन्टर क्लेम पेश करने के अधिकारी नहीं है तथापि काउन्टर क्लेम का जवाबदावा दिया जा रहा है।

काउन्टर क्लेम का जवाबदावा पेश किया है कि प्रतिवादी संख्या 3 से 6 की सहमति या वसीयतनामा सही कह देने से मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के हक में वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की घोषणा कानुनन नहीं की जा सकती है। मुस्लिम विधि में एक व्यक्ति अपनी वसीयत कर सकता है परन्तु इस पर दो प्रकार के निबंधन आधीरोपित किये गये हैं। प्रथम कोई भी मुस्लिम अपनी सम्पति का 1/3 भाग वसीयत कर सकता है परन्तु 1/3 वसीयत के उद्वेश्य विधिक उताराधिकारी सामान्य अधिकार से वंचित न हो एवं द्वितीय वह अपने वारिसों को वसीयत द्वारा सम्पति नहीं दे सकता परन्तु तथा कथित वसीयत प्रतिवादीनी ने अपने पिता से 1/3 हिस्से की

28/8/19
कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जालोर

Scanned by CamScanner

निष्पादित करवाई है जो विधि विरुद्ध है व शुन्य है, इसप्रकार शुन्य वसीयत के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सामान्य वसीयत के सिद्धान्तों के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त खसरा नम्बर की आराजी की खातेदारी की घोषणा किये जाने के अधिकारी नहीं है व न ही बंटवाडा करवाने के अधिकारी है।

विशेष आपत्तियो में वर्णित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का काउन्टर क्लेम का बिनायदावा उत्पन्न होने का कथन नहीं किया है। जिससे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत् प्रतिवादी 3 से 6 का काउन्टर क्लेम निरस्त करने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने नाकाफी कोर्ट फीस पेश की है जिससे काउन्टर क्लेम पोषनीय नहीं है कब्जे की रिलिफ नहीं मांगा है जिसमें काउन्टर क्लेम मेनटेनेबल नहीं है काउन्टर क्लेम म्याद बाहर है।

पक्षकारान की प्लीडिंग्स पर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई :-

1. आया मौजा जालोर 'ए' के खसरा नम्बर 706 रकबा 1.42 हैक्टयर व खसरा नम्बर 707 रकबा 1.04 हैक्टयर कुल रकबा 2.46 हैक्टयर में से वादी की खातेदारी की खातेदारी का हिस्सा का 2.13 हैक्टयर है। (वादी)
2. आया मौजा जालोर 'ए' के खसरा नम्बर 706 व 707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर में से नक्शा शेड्यूल 'अ' में लालरंग से दर्शित 2.13 हैक्टयर भुमि बाई मिट्ठा एवं बाउण्ड के बंटवाडा करवाए वादी अपने नाम से अलग खातेदारी खाता करवाने का अधिकारी है। (वादी)
3. आया वादी उक्त 2.13 हैक्टयर भुमि के उपयोग व उपभोग के सबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। (वादी)
4. आया मौजा जालोर 'ए' के खसरा नम्बर 706 व 707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर में से 2.13 हैक्टयर भुमि प्रतिवादीया नम्बर 1 जरीना अपने नाम की खातेदारी घोषित करवाकर नक्शा परिशिष्ट 'ब' में लालरंग से दर्शित अनुसार बाई मिट्ठा एण्ड बाउण्ड के बंटवाडा करवाने व स्थायी निशेषाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है। (प्रतिवादी 1)
5. आया मौजा जालोर 'ए' के खसरा नम्बर 706 व 707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर भुमि के खातेदार अपने वारीशान मंजुरअली, जमीरअली, जरीना, आमना, भैमना व हाजरा समान रूप में खातेदारी हक घोषित करवाने व रेकर्ड दुरस्ती करवाने के अधिकारी है। (प्रतिवादी 3 से 6)
6. आया रेवेन्यु बोर्ड अजमेर के निगरानी/टीए/09/9157/जालोर के निर्णय दिनांक 20.06.14 के अनुसार मौजा जालोर के खसरा नम्बर 706 व 707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर में से पिता असगरअली की वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 जरीना कुल भुमि का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.82 हैक्टयर की खातेदारी तथा शेष 1.64 हैक्टयर भुमि वादी मंजुरअली प्रतिवादी संख्या 3 से 6 जमीरअली, आमना, भैमना व हाजरा पिसरान असगरअली समान रूप से खातेदारी हक प्राप्त करने तथा इसी माफिर बंटवाडा करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। (प्रतिवादी 3 से 6)

7. अनुतोष

वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 ई0 एक्स. 1 नक्शा ट्रेस ई0 एक्स. 2 पेश किये है। जुबानी शहादत में वादी स्वंय के बयान करवाये है।

प्रतिवादी संख्या 1 जरीना बानु ने दस्तावेजी साक्ष्य में माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर की अपील संख्या 72/2009 एवं 151/2009 का दोनों का सम्मिलित निर्णय दिनांक 22.10.2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि EXDA-1 व EXDA-2 प्रस्तुत की है। नकल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 ई0 एक्स डी ए 3, तहसीलदार जालोर के प्रकरण संख्या 1/06 निर्णय दिनांक 21.11.2007 EXDA-4 , एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निगरानी/टीए/09/9157/जालोर मंजुरअली बनाम जरीना बानू निर्णय दिनांक 20.06.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी शहादत में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 ई एक्स 1 में इन्द्राजात अनुसार जरिये नामान्तरकरण सं0 1286 दिनांक 18.01.19 की स्वीकृति पर पूर्ण खाते में मंजुरअली पुत्र असगरअली 2.13 हेक्टयर, जरीना बानू पत्नी रियाज अहमद पुत्री असगरअली 0.33 हैक्टयर खातेदार दर्ज किया गया है।

नकल नक्शा ट्रेस ई0एक्स 2 है। जिसमें खसरा नम्बर 706 व 707 दर्शित है। जुबानी शहादत में वादी मंजुरअली ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने बयान दर्ज करवाये है। वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को शपथ पत्र में वादी द्वारा वर्णित किया है, इसी अनुरूप अपने बयान दर्ज करवाये है। वादी ने अपने बयानों में बताया है कि यह जमीन पुश्तैनी है

28/8/19
सहायक कलेक्टर
(एस डी.ओ.) जालोर

Scanned by CamScanner

पुश्तैनी आराजी का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। मेरे पिताजी ने मेरी बहन जरीना बानू को वसीयत की होगी तो मुझे पता नहीं है। असगरअली की कुल भुमि 6.88 हैक्टयर मे से 4.42 हैक्टयर भुमि मेरे व मेरे भाई जमीरअली ने पैसे की आवश्यकता होने पर बेचान की थी, यह कहना गलत है कि जरीना बानू को किये गये वसीयतनामें से मैं व मेरे भाई व सभी बहनें सहमत है। वसीयत के आधार पर म्युटेशन भरा तब हमारे मुकदमें राजस्व मण्डल अजमेर में चल रहा था। यह सही है कि जमाबन्दी ई एक्स 1 में इन्द्राज एडीएम साहब ने सन् 2009 में निर्णय के आधार पर भरा गया, इस निर्णय को राजस्व मण्डल में खारिज किया हो तो मुझे पता नहीं है।

प्रतिवादी जरीना बानू ने दस्तावेजी शहादत में प्रस्तुत ई0 एक्स डी 1व 2 माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के अपील संख्या 72/2009 व 151/2009 दोनों अपीलों का सम्मिलित पारित निर्णय दिनांक 22.10.2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि है इस निर्णय में यह मत प्रतिवादित किया है कि वसीयतनामा एक पंजीबद्व दस्तावेज है। वसीयतनामें का निष्पादन विवादित नहीं है। केवल वसीयत निष्पादन के अधिकार संबंधी विवाद है। वर्तमान वसीयत के बारे में स्व. असगरअली के वारिसान मंजुरअली के अलावा सभी वारिसान ने तहसीलदार जालोर के समक्ष अपनी लिखित सहमति भी दे दी थी जिसके अनुसार वसीयत नामा कुल जायदाद का 1/3 भाग तक के लिये ही अपीलाण्ट जरीना बानू के पक्ष में निष्पादित किया गया था अन्य भुमि असगरअली ने अपने जीवनकाल में ही बेचान कर दी थी। परन्तु वसीयत नामें में वर्णित भुमि का हस्तान्तरण नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने 0.33 हैक्टयर भुमि वसीयत धारक के नाम से दर्ज करने के अलावा शेष सम्पूर्ण भुमि अकेले मंजुरअली के नाम दर्ज करने का जो आदेश दिया है उसका कोई कानुनी आधार नही है क्योंकि मंजुरअली के अलावा भी मृतक असगरअली के अन्य वारिसान है। जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है। अतः अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2009 एवं तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1286 निरस्त किया जाता है प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है। कि वे स्व. असगरअली के खातेदारी की 2.46 हैक्टयर भुमि का 1/3 हिस्से का रकबा 0.82 हैक्टयर भुमि वसीयत धारक जरीना के नाम रखने के बाद अवशेष रही भुमि स्व. असगरअली के शेष सभी वारिसान के नाम मुस्लिम कानून में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विधिवत रूप से दर्ज करें।

नकल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 ई0 एक्स डीए 3 है जिसमें दर्ज इन्द्राजात अनुसार मौजा जालोर 'ए' के खसरा नम्बर 706, 707, 719 व 720 कुल रकबा 6.88 हैक्टयर असगरअली वल्द बरकलअली के नाम खातेदारी का दर्ज है।

प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय तहसीलदार जालोर के प्रकरण संख्या 1/06 श्रीमती जरीना बानू बनाम मंजुरअली निर्णय अनुसार असगरअली के खातेदारी की कुल भुमि 6.88 हैक्टयर में से खसरा नम्बर 706 व 707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर भुमि वसीयत गृहीता जरीना बानू के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है।

प्रतिवादी जरीना द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निगरानी/टीए/09/9157/जालोर मंजुरअली बनाम जरीना बानू वगैरा निर्णय दिनांक 26.06.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा इस निर्णय में यह मत प्रतिपादित किया है कि स्व. असगरअली के जीवनकाल में उनके खाते में आराजी खसरा नम्बर 706, 707, 719 व 720 कुल रकबा 6.88 हैक्टयर थी इसमें से उन्होने अपने जीवनकाल में आराजी खसरा नम्बर 719 व 720 का विक्रय कर दिया शेष खसरा नम्बर 706 व 707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर की वसीयत अपनी पुत्री जरीना के नाम कर दी जिसमें मंजुरअली के अलावा अन्य वारिसान की लिखित सहमति थी। चुंकि वसीयतकर्ता असगरअली ने अपने जीवनकाल में खसरा नम्बर 719 व 720 का बेचान कर दिया था और शेष रही भुमि खसरा नम्बर 706 व 707 की वसीयत अपनी पुत्री जरीना के नाम कर दी थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार वसीयतकर्ता केवल 1/3 भाग की ही वसीयत कर सकता है। इसके अनुसार 0.82 हैक्टयर की वसीयत पुत्री जरीना के नाम किये जाने का निर्णय उचित है। शेष भुमि के बारे में अतिरिक्त कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 01.01.2009 के अनुसार केवल मात्र मंजुरअली को दिया जाना उचित नहीं था जबकि स्व. असगरअली के अन्य वारिसान मौजुद थे। जहां तक वारिसान की सहमति का प्रश्न है वह सहमति वसीयत देने में है और यह कन्सेन्ट वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात दी जानी होती है किन्तु यह मुस्लिम विधि में अनुपातिक वितरण को भी मान्यता दी गई है। मुहम्मउन लॉ में नॉन हीयर को भी 1/3 सीमा तक वसीयत दान दिये जाने के प्रावधान है। यहा यह भी है कि 1/3 हिस्से के पश्चात शेष परिसम्पति में अगर

28/8/19
सहा. कलेक्टर
(एस डी.एम.) जालोर

Scanned by CamScanner

किसी एक हीयर/वारिस को वसीयत कर दी गई है और वसीयतकर्ता के अन्य वारिस सहमत नहीं है तो शेष 2/3 सम्पति का बराबर वितरण अन्य सभी वारिसान में कर दिया जाये। मुस्लिम लॉ में वारिसानों के हितों की सुरक्षा का भी पूर्ण प्रावधान किया हुआ है। हस्तगत प्रकरण में असगरअली के कुल 6 वारिस है जिसमें से एक वारिस जरीना को वसीयत की गई है। शेष 5 में से 4 वारिसान की सहमति इस वसीयत पर है प्रार्थी मंजुरअली की सहमति नहीं है। अतः प्रश्नगत भुमि के 1/3 हिस्से की अधिकारी जरीना है और शेष 2/3 हिस्से के अधिकारी शेष 5 वारिसान है जिसमें प्रार्थी भी शामिल है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 22.10.09 में किसी प्रकार का संशोधन उचित नहीं मानते हुए तहसीलदान जालोर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त विवेचन एवं निर्णय अनुसार नामान्तरकरण खोलें।

प्रतिवादी जरीना ने जुबानी शहादत में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने बयान दर्ज करवाये है प्रतिवादी ने अपने शपथ पत्र में वर्णित किया है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने 0.82 हैक्टयर तक ही वसीयत सही मानी है उसी अनुसार खातेदारी की डिक्री उसके नाम जारी की जावें व शेष बची 1.64 हैक्टयर भुमि शेष भाई व बहनों की खातेदारी की घोषित की जावें इसी अनुरूप अपने बयानों में बताया कि राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्व अपील नहीं की अन्य किसी ने की होगी तो पता नहीं।

बहस विद्वान अभिभाषक उमय पक्ष की सुनी गई पत्रावली व अवलोकन किया कायम तनकीयात को निम्नानुसार निर्णय किया जाता है :-

तनकी नम्बर 1

तनकी नम्बर 1 इस प्रकार है कि आया मौजा जालोर 'ए' खसरा नम्बर 706 रकबा 1.42 हैक्टयर व खसरा नम्बर 707 रकबा 1.04 हैक्टयर कुल रकबा 2.46 हैक्टयर मे से वादी की खातेदारी हिस्सा का 2.13 हैक्टयर है यह तनकी जिम्मे वादी है, नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 ई0 एक्स 1 के अनुसार इन्द्रजात नामान्तरकरण संख्या 1286 द्वारा मंजुरअली 2.13 हैक्टयर व जरीना को 0.33 हैक्टयर का खातेदार दर्ज किया गया था नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071के इन्द्रजात अनसार उक्त आराजी जरीना बानो 1/3 हिस्सा व मंजुरअली, आमना, मेमना व हाजरा 2/3 हिस्सा खातेदार दर्ज है। माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर के अपरोक्त वर्णित निर्णय दिनांक 22.10.2009 एवं माननीय राजस्व मण्डल के उपरोक्त वर्णित निर्णय दिनांक 20.06.2014 के अनुसार उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा अर्थात 0.82 हैक्टयर की खातेदारी वसीयत धारक जरीना को माना है व शेष 2/3 हिस्सा अन्य वारिसानों में बराबर वितरण होगा तदनुसार तहसीलदार जालोर को निर्देश प्रदान किये गये है फलस्वरूप वादी 2.13 हैक्टयर की खातेदारी का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्व वादी के निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2

तनकी नम्बर 2 इस प्रकार है कि आया मौजा जालोर 'ए' खसरा नम्बर 706 रकबा 1.42 हैक्टयर व खसरा नम्बर 707 रकबा 1.04 हैक्टयर कुल रकबा 2.46 हैक्टयर मे से नक्शा शेड्युल 'अ' में लालरंग से दर्शित 2.13 हैक्टयर भुमि बाई मिट्स एवं बाउण्ड के बंटवाडा करवाकर वादी अपने नाम से अलग खातेदारी खाता करवाने का अधिकारी है यह तनकी जिम्मे वादी है तनकी नम्बर 1 के निर्णयानुसार वादी का 2.13 हैक्टयर का हक टाईट्ल उक्त आराजी में नहीं बनता है अतः वादी बाई मिट्स व बाउण्ड के 2.13 हैक्टयर भुमि बंटवाडे में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः यह तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3

यह तनकी इस प्रकार है कि आया वादी उक्त 2.13 हैक्टयर भुमि के उपयोग व उपभोग के सबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है यह तनकी जिम्मे वादी है तनकी 1 व 2 के निर्णयानुसार वादी 2.13 हैक्टयर का हक टाईट्ल नहीं बनता है। अतः वह उक्त आराजी बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है अतः यह तनकी भी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4

यह तनकी इस प्रकार है कि आया मौजा जालोर 'ए' खसरा नम्बर 706 रकबा 1.42 हैक्टयर व खसरा नम्बर 707 रकबा 1.04 हैक्टयर कुल रकबा 2.46 हैक्टयर मे से 2.13 हैक्टयर भुमि प्रतिवादीया नम्बर 1 जरीना अपने नाम की खातेदारी घोषित करवाकर नक्शा परिशिष्ट 'ब' में लालरंग से दर्शित अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के बंटवाडा करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है यह तनकी जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 जरीना के है चुंकि प्रतिवादी द्वारा 2.13 हैक्टयर भुमि अपने नाम खातेदारी को घोषित करने का काउन्टर क्लेम पेश किया है परन्तु उपरोक्त निर्णित तनकीयात व माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर व माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयानुसार वह मात्र 1/3 हिस्से में 0.82 हैक्टेयर की आराजी ही प्राप्त करने को

28/8/19
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जालोर

Scanned by CamScanner

अधिकारी है अतः प्रतिवादी जरीना 2.13 हैक्टयर की खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है फलस्वरूप वह इस कदर बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की भी अधिकारी नहीं है अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5

यह तनकी इस प्रकार है कि आया मौजा जालोर 'ए' खसरा नम्बर 706 रकबा 1.42 हैक्टयर व खसरा नम्बर 707 रकबा 1.04 हैक्टयर कुल रकबा 2.46 हैक्टयर भुमि के खातेदार अपने वारिसान मंजुरअली, जमीरअली, जरीना, आमना, मैमना व हाजरा समान रूप से खातेदारी हक घोषित करवाने व रेकर्ड दुरस्ती करवाने के अधिकारी है यह तनकी प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के जिम्मे है उपरोक्त निर्णित तनकीयात के अनुसार प्रतिवादी जरीना 1/3 अर्थात 0.82 हैक्टयर जरिये वसीयत प्राप्त करने की अधिकारी है एवं शेष 2/3 हिस्सा शेष वारिसानों में बराबर वितरण होगा। अतः प्रतिवादिगण 3 से 6 व वादी समान रूप से खातेदारी हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है फलस्वरूप यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण 3 से 6 के निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 6

यह तनकी इस प्रकार है कि आया रेवन्यु बोर्ड अजमेर के निगरानी/टीए/09/9157/जालोर के निर्णय दिनांक 20.06.2014 के अनुसार मौजा जालोर 'ए' के खसरा नम्बर 706 व 707 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर में से पिता असगरअली की वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 जरीना बानू कुल भुमि का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.82 हैक्टयर की खातेदारी तथा शेष 1.64 हैक्टयर भुमि वादी मंजुरअली व प्रतिवादीगण 3 से 6 जमीरअली, आमना, मैमना व हाजरा पिसरान असगरअली समान रूप से खातेदारी हक प्राप्त करने तथा इसी माफिक बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। यह तनकी जिम्मे प्रतिवादीगण 3 से 6 है माननीय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णयानुसार एवं तहसीलदार जालोर प्रदत निर्देशानुसार प्रतिवादी जरीना 1/3 हिस्सा अर्थात 0.82 हैक्टयर की खातेदारी तथा शेष वारिसान में समान रूप से वितरण होगी तदनुसार पक्षकारान खातेदारी हको के इन्द्राज करवाने के अधिकारी है इसी अनुरूप माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय में तहसीलदार जालोर को निर्देशित किया है। चुंकि जहां तक बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रश्न है तो पक्षकारान ने वाद व काउन्टर क्लेम में इस अनुरूप कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, सर्व प्रथम यह आवश्यक है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय एवं निर्देशानुसार तहसीलदार जालोर द्वारा उक्तानुसार हक टाईटल का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में किये जाने के पश्चात उसी अनुरूप बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा के लिये अनुतोष प्राप्त कर सकते है फलस्वरूप यह तनकी इसी अनुरूप निर्णित की जाती है।

अनुतोष

उपरोक्त विवेचना व निर्णित तनकीयात के आधार पर वादी का वाद काबिल खारीज है। वह बंटवाडा का अनुतोष प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं पाया जाता है। इसी अनुरूप प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 6 के काउन्टर क्लेम भी काबिल खारीज है।

आज्ञा

उपरोक्त विवेचन व निर्णित तनकीयात के आधार पर दावा वादी खारीज किया जाता है. प्रतिवादी 1 व 3 से के काउन्टर क्लेम भी खारीज किये जाते है, खर्चा फरीक अपना-अपना वहन करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28/8/19 को सुनाया गया।

28/8/19

(चम्पालाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) जालोर

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम जालोर बइजलास श्री चम्पालाल जीनगर आर0ए0एस0

राजस्व वाद सं0 :- 38/2009

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मन्जुर अली पुत्र असगर अली उम्र 60 साल जाति मुसलमान निवासी लालपोल के बाहर जालोर तहसील व जिला जालोर।		1. जरीना बानु पत्नी रियाज अहमद जाति मुसलमान निवासी जालोर तह0 व जिला जालोर। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जालोर जिला जालोर। 3. जमीर अली पुत्र असगर अली। 4. आमना पुत्री असगर अली। 5. मैमना पुत्री असगर अली। 6. हाजरा पुत्री असगर अली जातियान मुसलमान निवासी जालोर जिला जालोर।

दावा बाबत बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्त 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु बकुलाय फरीकेन व हाजरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी खारीज किया जाता है, प्रतिवादी 1 व 3 से के काउन्टर क्लेम भी खारीज किये जाते है।

खर्चा फरीकु अपना-अपना वहन करें। लीज ..... मुबलिक ..... बावत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 8 सन् 2019 को जारी की गई।

(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
(एसडीओ) जालोर

मुहर

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायला		रुपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	.....			स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....			स्टाम्प अरजी	.....		
स्टाम्प वजह सबूत	.....			महनताना वकील	.....		
महनताना वकील	.....			खर्चा गवाहान	.....		
खर्चा गवाहान	.....			फीस कमिश्नर	.....		
फीस कमिश्नर	.....			बाबत इजराय हुकमनामा	.....		
बाबत इजराय हुकमनामा	.....			मुतफर्रिक	.....		
मुतफर्रिक	.....			मीजान	.....		
मीजान	.....				.....		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
(एसडीओ) जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2019.12.06 18:33:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: